

# कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- ५१९

दिनांक :- ०५/०५/२०२५

## II संशोधित कार्यालय आदेश II


मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपटित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 474 दिनांक 03.05.2024 में अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी, जोधपुर में दिनांक 05.05.2024 को Effective Implementation of Negotiable Instrument Act के सम्बन्ध में आयोजित वर्कशॉप में शामिल होने जाने के कारण संशोधन कर दिनांक 05.05.2024 एवं दिनांक 11.05.2024 के राजकीय अवकाशों के लिए टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नीचे दी गई सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इ्यूटी करने के लिए अधिकृत करता हूं। माह मार्च के लिए अन्य दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अंजली सिंह	9560595669	05.05.24
2.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	यतिन खटाना	8860702787	11.05.24

उक्त इ्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इ्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इ्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखें।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इ्यूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)

कमांक :- 500-508

दिनांक :- 04/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
4. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
5. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
6. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
7. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
8. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)